पत्र संख्या–6 / योजना–01–54 / 2016गृ0आ0........................ /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक अप्रील, 2017

विषयः– **अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में 200 के0वी0ए0 डिस्ट्रब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन / केबलिंग सहित भवनों की मरम्मति, रंग–रोगन, विद्युतीकरण एवं लाइटिंग के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 92,77,900 (बानवे लाख सतहत्तर हजार नौ सौ रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 92,77,900 (बानवे लाख सतहत्तर हजार नौ सौ रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–534 / गो0, दिनांक–02.03.2017 के संबंध में कहना है कि अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में 200 के0वी0ए0 डिस्ट्रब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन / केबलिंग सहित भवनों की मरम्मति, रंग–रोगन, विद्युतीकरण एवं लाइटिंग के लिए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 92,77,900 (बानवे लाख सतहत्तर हजार नौ सौ रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 92,77,900 (बानवे लाख सतहत्तर हजार नौ सौ रू0) मात्र विमुक्त करने करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 92,77,900 (बानवे लाख सतहत्तर हजार नौ सौ रू0) मात्र राज्य स्कीम अन्तर्गत माँग संख्या–22 के मुख्यशीर्ष–"4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0101–भवन निर्माण के लिए बिहार अग्निशाम सेवा" विस्तृत शीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य, विषय शीर्ष–01–मुख्य निर्माण कार्य, विपत्रकोड–22–4070.00.051.0101.53.01 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6 / योजना–01–54 / 2016गृ0आ0 के टि0 पृ0–9 / टि0 पर दिनांक–10.04.2017 को प्राप्त है।

11. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6 / योजना–01–54 / 2016गृ0आ0.........3207.........../ पटना, दिनांक 20 अप्रील, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/04/17

सरकार के अवर सचिव